कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून

संख्या– 1655 / खनि0अनु0–2024 दिनांक 3 जुलाई, 2024

सेवा में,

डिप्टी रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
फरीदकोट हाउस कोपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली 110001

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–97 / 2024 मदन लाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित 08.05.2024 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक योजित मूल आवेदन संख्या–97 / 2024 मदन लाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित 08.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त आदेश के प्रस्तर संख्या–4,5,6 में मा0 अधिकरण द्वारा निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं :–

4. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttarakhand through Chief Secretary, Government of Uttarakhand, (2) Director, Geology and Mining, Uttarakhand, (3) District Magistrate, Dehradun, (4) Mr. Diwan Singh S/o Mr. Mehar Singh, Gram Pradhan, Asoi, (5) Mr. Gyara Singh s/o Mr. Ram Singh, resident of Asoi and (6) Mr. Vijan S/o Mr. Dhan Singh, resident of Asoi (named in the report) who stand impleaded as respondents No. 1 to 6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 6 requiring them to file their reply/ response within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
5. Notices be served on Mr. Diwan Singh, Mr. Gyara Singh and Mr. Vijan through the District Magistrate, Dehradun and for this purpose notices issued to them be sent to the District Magistrate, Dehradun by E- mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard within fifteen days.
6. List for further consideration on 09.08.2024.

उक्त आदेश के अनुपालन में कार्यालय के पत्रांक–1539 / खनिज–अनु0 / 2024 दिनांकित 29 मई, 2024 के द्वारा श्री दीवान सिंह, श्री ग्यारह सिंह व श्री विजन सिंह (प्रतिवादी संख्या–4, 5 व 6) को नोटिस तामिल कराने हेतु तहसीलदार–चकराता, जनपद–देहरादून को निर्देशित किया गया है। **(संलग्नक–1)** प्रकरण पर तहसीलदार, चकराता की आख्या दिनांकित 07.06.2024 प्राप्त है, जिसमें उल्लिखित है कि उक्त प्रतिवादीगणों को नोटिस की तामिली करा दी गयी है। तहसीलदार–चकराता द्वारा प्रेषित "तामीली–आख्या" संलग्न कर मा0 अधिकरण के सादर अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–2)**

..........2

इसके अतिरिक्त दिनांक 29.04.2024 को संयुक्त जांच निरीक्षण के समय मौके पर पकड़े गये अवैध खनिज के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी चकराता से पुनः अद्यतन आख्या प्राप्त की गयी। उपजिलाधिकारी, चकराता द्वारा अपने पत्रांक–450 / एस0टी0 / 2024 दिनांक 22 जुलाई, 2024 के द्वारा अद्यतन बिन्दुवार आख्या उपलब्ध करायी गयी है **(संलग्नक–3)**, जिसमें निम्नवत उल्लिखित है :–

1. दिनांक 29.04.2024 को संयुक्त जांच निरीक्षण के समय मौके पर जो अवैध खनिज पकड़ा गया था। उक्त खनिज ग्राम असोई पाटन में मोटर मार्ग के किनारे खड्ड साइड ढालदार अलग–अलग स्थानों पर पड़ा हुआ था। जांच पूछताछ के दौरान उक्त खनिज ग्यार सिंह पुत्र श्री राम सिंह, विजन सिंह, पुत्र धन सिंह निवासी–ग्राम आसोई का होना बताया गया था। उक्त अवैध खनिज (रेत / बालू) की मौके पर पैमाइश की गयी। पैमाइश के दौरान उक्त खनिज की अलग–अलग नाप ली गयी। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा उक्त अवैध खनिज की चालानी कार्यवाही की गयी है। चूंकि राजस्व उप निरीक्षक चौकी उक्त स्थान से 30 किमी0 दूर कच्चे रास्ते पर है तथा तहसील चकराता 120 किमी0 की दूरी पर है। उक्त अवैध खनिज को चौकी / तहसील ले जाने हेतु उचित संसाधन ना हाने के कारण एवं भण्डारण की व्यवस्था ना होने के कारण उक्त अवैध खनिज को चौकी / तहसील नहीं ले जाया जा सका। उक्त खनिज की राजस्व उप निरीक्षक, बुल्हाड़ द्वारा समय–समय पर निगरानी की गयी। निगरानी के समय खनिज स्थल पर उपलब्ध था, किन्तु लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण उक्त अवैध खनिज ढालदार भूमि से बह गया है। मौके पर बहुत ही कम मात्रा में खनिज शेष बचा है। लगातार हो रही वर्षा से उक्त खनिज के बहने के पूर्ण आसार हैं।

2. आख्या में यह भी उल्लिखित है कि स्थल पर वर्तमान में कोई अवैध खनन कार्य नहीं हो रहा है तथा स्थल पर अवैध खनन को रोकने के लिये पी0आर0डी0 जवान तैनात किया गया है तथा समय–समय पर छापेमारी जारी है। जिन वाहनों को पकड़ा जा रहा है उनके सम्बन्ध में चालानी की कार्यवाही की जा रही है।

3. उपजिलधिकारी चकराता द्वारा प्रेषित आख्या में यह भी उल्लिखित है कि ग्राम आसोई में हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यक्तियों के वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही करते हुये विभिन्न तिथियों में निम्नवत जुर्माना निम्नवत वसूला गया है :–

क्र.सं.	नाम	अर्थदण्ड	न्यास शुल्क
1	श्री धर्मेन्द्र शर्मा, पुत्र योगराज	रू0 31890 / –	रू0 100 / –
2	श्री शमशद अली, पुत्र लियाकत	रू0 34725 / –	रू0 236 / –
3	श्री तरूण शर्मा	रू0 31890 / –	रू0 95 / –
4	श्री भादर सिंह, पुत्र श्री मोहन सिंह	रू0 31890 / –	रू0 95 / –
5	श्री रामलाल पुत्र श्री गणेशचंद	रू0 6120 / –	रू0 71 / –
6	श्री रितेश्वर पुत्र श्यामलाल	रू0 6260 / –	रू0 63 / –
कुल धनराशि (रू0) में		रू0 1,42,775 / –	रू0 660 / –

(3)

यह भी उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता श्री मदनलाल द्वारा की गयी शिकायत के क्रम में श्री दीवान सिंह, श्री ग्यारह सिंह व श्री विजन सिंह के विरूद्ध अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) देहरादून के न्यायालय/कार्यालय में अवैध खनन/भण्डारण के सम्बन्ध में प्रकरण विचाराधीन है जिसमें श्री दीवान सिंह, श्री ग्यारह सिंह तथा श्री विजन सिंह को नोटिस प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में उक्त व्यक्तियों द्वारा लिखित रूप से कार्यालय में अपना प्रत्युत्तर उपलब्ध कराते हुये ग्राम आसोई, चकराता में अवैध खनन का कार्य से इंकार किया गया है। वर्तमान में उक्त प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं किया गया है। चूंकि श्री दीवान सिंह, श्री ग्यारह सिंह व श्री विजन सिंह को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रतिवादी संख्या–4, 5 व 6 बना दिया गया है, अतः उक्त व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन किये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश/दिशा–निर्देशों के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या मा0 अधिकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीया,

संलग्नक–यथोपरि।

(सोनिका)
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रतिलिपि :–

एडवोकेट अंजली राजपूत, पैनल अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को इस आशय से कि प्रकरण के निस्तारण हेतु नियत दिनांक 09.08.2024 को उपरोक्त वर्णित तथ्य मा0 अधिकरण के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी,
देहरादून

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून

पत्र संख्या 1539/खनिज–अनु0/2024 दिनांक 29 मई, 2024

1. श्री दीवान सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह
   ग्राम प्रधान असोई, तहसील चकराता।

संलग्नक- 1

2. श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह,निवासी
   ग्रम असोई (पाटन) तहसील चकराता।

3. श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह, निवासी
   ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–97/2024 मदन लाल बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 08 मई, 2024 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय अधकरण में शिकायतकर्ता श्री मदन लाल ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा ग्राम आसोई, पाटन, तहसील–चकराता के विभिन्न स्थानों पर आपके द्वारा अवैध खनन की शिकायत की गयी है। प्रकरण पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में अधियोजित मूल आवेदन संख्या–97/2024 मदन लाल बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 08 मई, 2024 के प्रस्तर संख्या–6 में आपको क्रमशः प्रतिवादी संख्या–4, 5 और 6 बनाते हुये जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त आदेश की तामिली आपको (प्रतिवादी संख्या–4, 5 और 6 को) कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः मा0 हरित प्राधिकरण द्वारा मूल आवेदन संख्या–97/2024 मदन लाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08 मई, 2024 की प्रति संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ अनुपालन हेतु प्रेषित की जा रही है प्रकरण में अगली सुनवाई हेतु नियत तिथि 09 अगस्त, 2024 से पूर्व मा0 राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

(शालिनी नेगी)
प्रभारी अधिकारी (खनन),
कृते जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्रतिलिपि– तहसीलदार चकराता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नोटिस की एक प्रति तत्काल सम्बन्धितों को तामिली कराकर तामिली–आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभारी अधिकारी (खनन),
कृते जिलाधिकारी,
देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून

दिनांक 29 मई, 2024

पत्र संख्या 1539/खनिज-अनु0/2024

1. श्री दीवान सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह
   ग्राम प्रधान असोई, तहसील चकराता।

2. श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह,निवासी
   ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता।

3. श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह, निवासी
   ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता।

संलग्नक-2 ।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–97/2024 मदन लाल बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 08 मई, 2024 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय अधकरण में शिकायतकर्ता श्री मदन लाल ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा ग्राम आसोई, पाटन, तहसील–चकराता के विभिन्न स्थानों पर आपके द्वारा अवैध खनन की शिकायत की गयी है। प्रकरण पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में अधियोजित मूल आवेदन संख्या–97/2024 मदन लाल बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 08 मई, 2024 के प्रस्तर संख्या–6 में आपको क्रमशः प्रतिवादी संख्या–4, 5 और 6 बनाते हुये जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त आदेश की तामिली आपको (प्रतिवादी संख्या–4, 5 और 6 को) कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः मा0 हरित प्राधिकरण द्वारा मूल आवेदन संख्या–97/2024 मदन लाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08 मई, 2024 की प्रति संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ अनुपालन हेतु प्रेषित की जा रही है प्रकरण में अगली सुनवाई हेतु नियत तिथि 09 अगस्त, 2024 से पूर्व मा0 राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

(शालिनी नेगी)
प्रभारी अधिकारी (खनन),
कृते जिलाधिकारी,
देहरादून।

536
11/06/2024

प्रतिलिपि– तहसीलदार चकराता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नोटिस की एक प्रति तत्काल सम्बन्धितों को तामिली कराकर तामिली–आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभारी अधिकारी (खनन),
कृते जिलाधिकारी,
देहरादून।

(ग्यारसिंह)
Vijan singh (बिजनसिंह)
(दीवानसिंह)

महोदय,
मेरे द्वारा प्रतिवादीगणों को नोटिस की तामिली करा दी गई है तथा हिदायत दी गई है कि नियत तिथी से पूर्व मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें।
अतः तामिली रिपोर्ट महोदय की सेवा में प्रेषित है।

06/06/2024
तहसीलदार

संलग्नक-3

जिलाधिकारी
25 JUL 2024
देहरादून

01/6...
6868
प्रभारी अधिकारी
आंग्ल अभिलेखागार
कलक्ट्रेट, देहरादून
दिनांक.........

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
चकराता।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्र0),
देहरादून।

पत्रांक 450 /एस0टी0/2024 दिनांक 22 जुलाई 2024

विषयः— तहसील चकराता क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन की शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक संख्या 1584/खनिज–अनु0/2024 दिनांक 25.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें महोदय द्वारा अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता श्री मदनलाल पुत्र स्व0 श्री काल्टूराम नि0 ग्राम आसोई खत–भरम पो0 बायला तहसील चकराता द्वारा अपने शिकायती प्रार्थन पत्र में उल्लेख किया गया है कि श्री दीवान सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह नि0 ग्राम असोई तहसील चकराता देहरादून जो कि वर्तमान मे ग्राम पंचायत असोई का प्रधान भी है के द्वारा कनासर रेंज अन्तर्गत आसोई पाटन टौंस नदी से काफी समय से अवैध रूप से रेत, पत्थर, बजरी का ट्रैक्टरों व जे0सी0बी0 मशीनों द्वारा चुगान किया जा रहा है तथा प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांकित 08.05.2024 के द्वारा श्री दीवान सिंह, श्री ग्यारा सिंह तथा श्री विजन सिंह को उक्त प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, बनाया गया है। प्रकरण पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त आदेश के कम में नायब तहसीलदार चकराता से निम्न बिन्दुओ पर जांच करायी गयी। नायब तहसीलदार चकराता द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 12.07.2024 मे निम्न बिन्दुओं पर उल्लेख किया गया जो निम्नवत् है:—

1— दिनांक 29.04.2024 को संयुक्त जॉच निरीक्षण के समय मौके पर जो अवैध खनिज पकड़ा गया था। उक्त खनिज ग्राम असोई पाटन मे मोटर मार्ग के किनारे खड्ड साइड ढालदार अलग–अलग स्थानों पर पड़ा हुआ था। जांच पूछताछ के दौरान उक्त खनिज ग्यार सिंह पुत्र श्री राम सिंह, विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह नि0 ग्राम आसोई का होना बताया गया था। उक्त अवैध खनिज (रेतू/बालू) की मौके पर पैमाइश की गई। पैमाइश के दौरान उक्त खनिज अलग–अलग नाप ली गई। एन0जी0टी0 अधिकारियों के द्वारा उक्त अवैध खनिज की चालानी कार्यवाही की गई। चूंकि रा0उ0नि0 चौकी उक्त स्थान से 30 कि0मी0 कच्चा रास्ते पर है तथा तहसील चकराता 120 कि0मी0 दूरी पर है। उक्त अवैध खनिज को चौकी/तहसील ले जाने हेतु संशाधन न होने के कारण तथा भण्डारण की व्यवस्था न होने के कारण अवैध खनिज को चौकी तहसील नही ले जाया जा सकता। उक्त खनिज की मेरे द्वारा उसके बाद समय–समय पर निगरानी की गयी। निगरानी के समय अवैध खनिज मौके पर था। परन्तु लगांतार हों रही भारी वर्षा/तूफान के कारण उक्त अवैध खनिज ढालदार भूमि से बह गया है। मौके पर बहुत कम मात्रा मे खनिज शेष बचा है। लगातार हो रही वर्षा से उक्त खनिज माल के बहने की पूर्ण आसार है। उक्त खनिज खुले स्थान पर था।

2— अवैध खनिज की गतिविधियों में जो वाहन पकडे गए थे। उन वाहनों की चालानी कार्यवाही मुझ रा0उ0नि0 बुल्हाड़ द्वारा की गयी है। जिसमें उक्त वाहनों के स्वामियों द्वारा मा0 न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट चकराता द्वारा नियत जुर्माना वसूलने के पश्चात् वाहन को अवमुक्त किया गया था।

3– उक्त स्थल पर अवैध खनिज जो रोकने के लिए पी0आर0डी0 जवान तैनात किया गया है तथा समय–समय पर छापेमारी जारी है तथा जो वाहन पकड़ा जा रहा हैं। उसकी चालानी कार्यवाही की जा रही है।

4– वर्तमान समय में उक्त स्थान पर खनन नही हो रहा है।

5– ग्राम असोई पाटन टोन्स नदी से हो रहे अवैध खनन/खनिज मामले में निम्न व्यक्तियों के वाहनो के विरूद्ध विभिन्न तिथियों मे चालानी रिर्पोट की गयी। जिसमें जुर्माना वसूला गया।

1– शमशाद अली पुत्र लियाकत नि0 तत्साणू, तहसील चौपाल जिला शिमला।
2– धमेन्द्र शर्मा पुत्र योगराज नि0 मचराना तहसील धामनी, जिला शिमला।
3– तरूण शर्मा नि0 राना क्यार, पो0ओ0 केदी तहसील चौपाल जिला शिमला।
4– भादर सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, पो0ओ0 झकाण्डो तहसील रोंहनाट जिला सिरमौर।
5– रामलाल पुत्र श्री गणेश चन्द नि0 ग्राम सरॉहा तहसील चौपाल जिला शिमला।
6– रितेश्वर पुत्र श्री श्याम लाल शर्मा ग्राम बालधार पो0ओ0 देवल तहसील चौपाल जिला शिमला।

इसके अतिरिक्त दिनांक 29.04.2024 को ग्यार सिंह, बिजन सिंह, दिवान सिंह, नि0 आसोई के विरूद्ध एन0जी0टी0 टीम द्वारा चालानी कार्यवाही की गई है सम्बन्धितों के विरूद्ध मामला विचाराणीय है।

उपरोक्त व्यक्तियों के वाहन से निम्न जुर्माना लिया गया जो निम्नवत् हैः–

नाम	अर्थदण्ड	न्यास शुल्क
1–धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र योगराज।	31890/–	100/–
2–शमशद अली पुत्र लियाकत।	34725/–	236/–
3–तरूण शर्मा।	31890/–	95/–
4–भादर सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह।	31890/–	95/–
5–रामलाल पुत्र गणेशचन्द।	6120/–	71/–
6–रितेश्वर पुत्र श्यामलालं	6260/–	63/–
कुल धनराशि (रू0)	1,42,775/–	660/–

अतः नायब तहसीलदार चकराता की जांच आख्या मूल रूप मे संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

सलंग्न यथोपरि।

भवदीय,

(योगेश सिंह मेहरा)
उप जिलाधिकारी
चकराता।

सेवा में,

तहसीलदार महोदय,

तह० - चकराता

विषय:- तहसील चकराता क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनिज की शिकायत के सम्बन्ध में,

सन्दर्भ:- कार्यालय जिलाधिकारी महोदय देहरादून के पत्र सं० 1584/ खनिज-अनु०/ 2024 दिनांक 25.06.2024

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र पर आपके पृष्ठांकन आदेश दिनांक 28
के अनुपालन में अवगत कराना है कि दिनांक 29.04.2024 को ग्राम आसोई पाटन
में NGT के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से मौके पर जाकर जाँच की गई। जिसमें
राजस्व विभाग से तहसीलदार चकराता, राजस्व निरीक्षक क्वानू एवं वन विभाग से
वन क्षेत्राधिकारी कनासर रेंज एवं अन्य वन विभाग के अधिकारी / कर्मचारीगण एवं
खनन विभाग के अधिकारी की मौजूदगी में संयुक्त जाँच की गई। प्रकरण के सम्बन्ध
में चाही गयी बिन्दुवार आख्या रिपोर्ट इस प्रकार है।

(1)- दिनांक 29.04.2024 को संयुक्त जाँच निरीक्षण के समय मौके पर जो अवैध खनिज पकड़ा
गया था। उक्त खनिज ग्राम आसोई पाटन में मोटरमार्ग के किनारे खड्ड साइड वालदार अलग-
अलग स्थानों पर पड़ा हुआ था। जाँच पूछताछ के दौरान उक्त खनिज ग्यारसिंह % ~~बानाह~~
रामसिंह, बिजनसिंह % धनसिंह नि० ग्रा० आसोई का होना बताया गया था। उक्त अवैध
खनिज (रेत/बालू) की मौके पर पैमाइश की गई। पैमाइश के दौरान उक्त खनिज की अलग-
अलग नाप ली गई। NGT अधिकारियों के द्वारा उक्त अवैध खनिज की चालानी कार्यवाही
की गई। चूँकि रा०उ०नि० चौकी उक्त स्थान से 30 Km कच्चा रास्ते पर है। तथा तहसील
चकराता 120 Km दूरी पर है। उक्त अवैध खनिज को चौकी / तहसील ले जाने हेतु संसाधन
न होने के कारण तथा भण्डारण की व्यवस्था न होने के कारण अवैध खनिज को चौकी,
तहसील नहीं ले जाया जा सकता। उक्त खनिज की मेरे द्वारा उसके बाद समय-समय पर
निगरानी की गयी। निगरानी के समय अवैध खनिज मौके पर था। परन्तु लगातार हो
रही भारी वर्षा / तूफान के कारण उक्त अवैध खनिज वालदार भूमि से बह गया है
मौके पर बहुत कम मात्रा में खनिज शेष बचा है। लगातार हो रही वर्षा में उक्त खनिज
माल के बहने की पूर्ण आसार है। उक्त खनिज खुले स्थान पर था।

(2)- अवैध खनिज की गतिविधि में जो वाहन पकड़े गए थे उन वाहनों की चालानी
कार्यवाही मुझ रा०उ०नि० - बुल्हाड़ द्वारा की गयी है। जिसमें उक्त वाहनों के वाहन
स्वामीयों द्वारा मा० न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट चकराता द्वारा नियत जुर्माना वसूलने
के पश्चात् वाहन को अवमुक्त किया गया था। वाहन अवमुक्त के आदेश की
प्रति संलग्न है।

(3)- उक्त स्थल पर अवैध खनिज को रोकने के लिए P.R.D जवान तैनात किया
गया है। तथा समय-समय पर छापेमारी जारी है। तथा जो भी वाहन पकड़ा जा
रहा है उसकी चालानी कार्यवाही की जा रही है।

(4)- वर्तमान समय में उक्त स्थान पर खनन नहीं हो रहा है।

(5)- ग्राम-आसोई पाटन टोन्स नदी से हो रहे अवैध खनन खनिज के मामले में निम्न व्यक्तियों के वाहनों के विरुद्ध विभिन्न तिथियों में चालानी रिपोर्ट की गयी। जिनसे जुर्माना वसूला गया।

(i)- शमशाद अली पुत्र लियाकत नि० तत्साणु, तह०- चौपाल, जिला-शिमला (H.P)
(ii)- धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र योगराज नि० मचराना, तह०- चामनी, जिला- शिमला (H.P)
(iii)- तरुण शर्मा नि०- गाना क्यार, पो०ओ०- केदी, तह०- चौपाल, जिला- शिमला (H.P)
(iv)- भादरसिंह s/o मोहनसिंह, पो०ओ०- जलाठो, तह० - रोहनाट, जिला- शिरमौर (HP)
(v)- रामलाल s/o गणेशचन्द, ग्राम - सराहाँ, तह०- चौपाल, जिला - शिमला (HP)
(vi)- रितेश्वर s/o श्याम लाल शर्मा, ग्राम- बालधार, P.O- देवल, तह०- चौपाल, जिला शिमला (HP)
इसके अतिरिक्त दिनांक 29.04.2024 को रमाटसिंह, बिजनसिंह, पिवानसिंह नि० आसोई के विरुद्ध NGT टीम द्वारा चालानी कार्यवाही की गई है सम्बन्धितो के विरुद्ध मामला विचारणीय है। NGT की चालानी कार्यवाही और किया गया जुर्माना जो अपरजिलाधिकारी (प्रशा०) देहरादून द्वारा जारी नोटिस में इंगित किया गया है। नोटिस की छायाप्रति संलग्न है।
अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में प्रेषित है।

Kaushal
02/07/2024
दीपक कौशल
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र कुल्हाड़
तहसील चकराता

महोदय उपरोक्त व्यक्तियों के वाहनो से निम्न जुर्माना लिया गया है।

	अर्थदण्ड	न्यास शुल्क
(1)- धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र योगराज	31890/-	100/-
(2)- शमशाद अली पुत्र लियाकत	34725/-	236/-
(3)- तरुण शर्मा	31890/-	95/-
(4)- भादरसिंह s/o मोहनसिंह	31890/-	95/-
(5)- रामलाल s/o गणेशचन्द	6120/-	71/-
(6)- रितेश्वर s/o श्यामलाल	6260/-	63/-
कुल =	1,42,775/-	660/-

Kaushal
दीपक कौशल
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र कुल्हाड़
तहसील चकराता

महोदय, रा०उ०नि० कुल्हाड़ की जाँच रिपोर्ट अग्रसारित
N.T. (signature)
12/07/24